IJAER/ June-July 2012 /Volume-1/Issue-1/Article No-19/ 116-119 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

वैश्वीकरण के दौर में भारतीय आर्थिक एवं भौगोलिक चिन्तन

डॉ० कलीराम सैनी
शोध निर्देशक
भूगोल विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

निधि गुप्ता
शोधार्थी
भूगोल विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय,
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

वैश्वीकरण जो एक रोमांचकारी शब्द है यह इच्छा प्रकट करता है कि विभिन्न राष्ट्र-राज्यों को विश्व व्यापार संगठन के ढॉचे के अधीन एकीकृत कर देना चाहिए। परन्तु थोड़ा गहन विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह तुलनात्मक लागत-लाभ के सिद्धान्त का आधुनिक विवरण ही है जिसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था। जिससे ग्रेट ब्रिटेन का कम विकसित देशों में, जो उस समय उपनिवेश ही थे, अवरोध रहित वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए सैद्धान्तिक आधार मिल सके। यह तर्क दिया गया कि अर्न्तराष्ट्रीय विशिष्टीकरण से ऐसे दोनों देशों को लाभ होगा जो व्यापार-सम्बन्ध कायम करते हैं। अब वही तर्क वैश्वीकरण के समर्थक पेश कर रहे हैं। वे विकास के लिए आयात प्रतिस्थापन विकास नीति की अपेक्षा निर्यात प्रेरित विकास नीति को तरजीह देने पर बल देते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवादी देश उपनिवेशिक देशों के शोषण के माध्यम से समृद्ध बनते गए जबकि उपनिवेश आर्थिक गतिरोध और गरीबी के चंगुल में फॅसे रहे।

आर्थिक सुधार के पैकेज में वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। **जगदीश भगवती** ने वैश्वीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि, 'आर्थिक वैश्वीकरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जोड़ने की प्रक्रिया समाविष्ट है और यह व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अल्पकालीन पूँजी प्रवाहों, श्रम तथा सामान्यतः मानव जाति के अर्न्तराष्ट्रीय प्रवाह और तकनीकी के प्रवाह द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वैश्वीकरण की धारणा में किन बातों का समावेश है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण के चार अंग हैं-

१. निर्बाध व्यापार प्रवाह
२. निर्बाध पूँजी-प्रवाह
३. निर्बाध तकनीकी प्रवाह
४. अन्तिम परन्तु विकासशील देशों की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध-प्रवाह हो सके।

वैश्वीकरण के समर्थक विशेषकर विकसित देशों के समर्थक, वैश्वीकरण की परिभाषा पहले तीन अंगों तक ही सीमित कर देते थे। वे विकासशील देशों पर वैश्वीकरण की इस परिभाषा को स्वीकार करने तथा उनके द्वारा तय की गयी परिधि में वैश्वीकरण पर विचार-विमर्श करने पर बल देते हैं। परन्तु विकासशील देशों के बहुत से अर्थशास्त्रीय यह मत रखते हैं कि यह परिभाषा अपूर्ण है और यदि वैश्वीकरण के समर्थकों का अन्तिम लक्ष्य समस्त संसार को एक सार्वभौम ग्राम के रूप में कल्पित करना है, तो इसके चौथे अंग अर्थात श्रम के निबार्ध प्रवाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। परन्तु इन समस्त मामलों पर चाहे वह विवाद विश्व बैंक, अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन या अन्य मन्चों पर किया गया, परन्तु श्रम प्रवाह की पूर्णतया उपेक्षा ही की गई भले ही वैश्वीकरण का अनिवार्य अंग है। हाल में, अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा स्थापित वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मानवीय पूँजी के प्रवाहों के प्रश्न पर ध्यान दिया है और इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों की सहायता के लिए इसके कार्यभाग पर विचार किया है।

वस्तुतः बुनियादी तौर पर वैश्वीकरण का अर्थ अर्न्तराष्ट्रीय और उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। 'वैश्वीकरण दुनिया के विभिन्न देशों और लोगों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, जो परिवहन एवं संचार की लागतों में लाई गयी भारी कमी के परिणामस्वरूप हो पाया है तथा इसके फलस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाहों में कृत्रिम रूकावटें समाप्त की गयी हैं और अपनी सीमा के परे लोगों का आना-जाना बढ़ा है।

वैश्वीकरण के समर्थकों के पक्ष में निम्न तर्क दिया है-

१. वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, तथा इसके परिणामस्वरूप विकासशील देश बिना अर्न्तराष्ट्रीय ऋणग्रस्तता कायम किए। अपने विकास के लिए पूँजी प्राप्त कर सकेंगे।
२. वैश्वीकरण विकासशील देशों को उन्नत देशों द्वारा विकसित की गयी तकनीकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है।

३. वैश्वीकरण का विकासशील देशों को विकसित देशों में अपनी उपज का निर्यात करने की पहुँच का विस्तार कराता है साथ ही यह विकासशील देशों की अच्छी क्वालिटी की उपभोग वस्तुओं, विशेषकर चिरकालीन उपभोग वस्तुओं को सापेक्षतः कहीं कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है।
४. वैश्वीकरण ज्ञान के प्रवाह में भी सहायक है। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देश अपने उत्पादन और उत्पादिकता के स्तर को उन्नत कर सकते हैं। अतः यह उत्पादिता के अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करने के लिए गति प्रदान करता है।
५. वैश्वीकरण से परिवहन एवं संचार की लागत कम हो जाती है। इसके टैरिफ में भी कमी होती है तथा इससे सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विदेशी व्यापार का भाग बढ़ जाता है।

संक्षेप में यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण को विकास के लिए तकनीकी प्रगति, उत्पादिकता में वृद्धि का इंजन समझा जा सकता है। और यह रोजगार के विस्तार के साथ गरीबी कम करने तथा आधुनिकीकरण का कारणतत्व बन जाता है।

विकासशील देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव-

वैश्वीकरण के समर्थकों के तर्कों का विभिन्न देशों में कई शोधकर्ताओं ने परीक्षण किया है। वैश्वीकरण की कड़ी आलोचना अर्थशास्त्र में २००१ में प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री जोजेफ स्टिग्लिट्ज ने अपनी पुस्तक **'वैश्वीकरण और इसकी निराशायें'** में प्रस्तुत की है। वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग ने भी विश्व भर में वैश्वीकरण के अनुभव पर विचार किया है तथा कई आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत किए हैं- विश्व आयोग ने उल्लेख किया है। 'वैश्वीकरण का मौजूदा मार्ग बदलना होगा। इससे बहुत थोड़े लोगों को लाभ होता है। हम वैश्वीकरण को मानवीय कल्याण और स्वतन्त्रता के विस्तार का साधन बनाना चाहते हैं और स्थानीय समुदायों के पास जहाँ वे निवास करते हैं लोकतन्त्र व विकास लाना चाहते हैं।

वैश्वीकरण और व्यापार-

वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार का विस्तार करना है। इस सन्दर्भ में विश्व आयोग ने उल्लेख किया है कि, 'यह व्यापार विस्तार सभी देशों में समान रूप में नहीं हुआ और इसका अधिकतर भाग औद्योगीकृत देशों तथा १२ विकासशील देशों के समूह को प्राप्त हुआ। इसके विपरीत अत्यधिक संख्या में विकासशील देशों के व्यापार-विस्तार में इसका योगदान महत्वपूर्ण माना नहीं जा सकता है।' वास्तव में कम विकसित देशों के समूह के विश्व व्यापार के भाग में आनुपातिक गिरावट अनुभव की गयी जबकि इन देशों ने व्यापार उदारीकरण के उपाय कार्यान्वित किए थे।

वैश्वीकरण के दौर में असमानता और गरीबी-

आइ० एल० ओ० रिपोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि, 'कुछ ओद्योगीकृत देशों में आय की असमानतायें बढ़ी हैं तथा इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में पूँजी के भाग में वृद्धि हुई है, तथा इसके साथ-साथ अस्सी तथा नब्बे के दशक के मध्य मजदूरी की असमानता में वृद्धि हुई है। सम्पत्ति के सकेन्द्रण में वृद्धि असमानता में वृद्धि का मुख्य कारण है। परिणामतः निम्नतम १० प्रतिशत मजदूरी कमाने वालों के भाग में कमी हुई है।

आइ०एल०ओ० रिपोर्ट में उन लोगों की पहचान करते हुए जिन्हें वैश्वीकरण से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है, उल्लेख किया गया है, 'देशों की भाँति, वे लोग जिन्हें वैश्वीकरण से अधिकतम फायदा हुआ है ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्रीय उपक्रमों से जुड़े हुए हैं। अधिक सामान्य रूप में, जो पूँजी एवं अन्य परिसम्पत्तियों से सम्पन्न हैं, उद्यमकर्ता योग्यता रखते हैं तथा जिनके पास शिक्षा और कौशल हैं उनकी अधिक माँग है और इन सभी ने लाभ प्राप्त किया है।

इसके विपरीत जिन पर दुष्प्रभाव पड़ा है उनमें ऐसे व्यक्ति हैं जो अप्रतिस्पर्द्धी उद्यमों के साथ जुड़े थे वे व्यापार उदारीकरण या विदेशी कर्मों के प्रवेश के समक्ष टिक न सके। इनमें ऐसे उद्यम शामिल हैं जो पहले व्यापार-अवरोधकों द्वारा बहुत सुरक्षित थे। अथवा राजकीय उद्यम जिन्हें सब्सिडी प्राप्त थी तथा ऐसे छोटे और मध्यम आकार के उद्यम जिनमें अर्थव्यवस्था के तीव्र उदारीकरण के अनुकूल समन्वय करने की क्षमता सीमित था।

बाजारवाद में राज्य की स्थिति-

प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के वर्तमान युग में राज्य की क्या भूमिका है? राज्य की आवश्यकता न केवल सुरक्षा, न्याय, संगति, पारिस्थितिकी और विकास के मध्य सन्तुलन स्थापित करने हेतु होती है। वरन् इसे स्थिरता तथा संवृद्धि के मध्य भी

सन्तुलन स्थापन में भी अपनी भूमिका निभानी होती है। यह एक नियामक की भूमिका निभाता है। उपभोक्ताभूओं का समर्थक नियामक जो बाजार की विसंगतियों तथा दुरूपयोग को रोक सकता है। तथा आवश्यक वैधानिक, भौतिक और मानव अर्न्तसंरचना उपलब्ध कराता है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भारत के अग्रगामी राज्यों और पिछड़े राज्यों में असमानता की खाई चौड़ी हो गयी है। तथा सामाजिक समूहों में अमीर और गरीब वर्गों के बीच असमानतायें बढ़ी है जिसके कारण गरीबी कमजोर तथा सम्पत्तिविहीन वर्ग विकास प्रक्रिया से निष्कासित हो गए। साधारण लोगों को मानवीय अधिकारों जैसे रोजगार के अधिकार तथा काम के स्थान पर अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

बाजार आधार संरचना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। कृषि जो भारत की जनसंख्या के ६० प्रतिशत की आजीविका का स्रोत है इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण ने निजीकरण की प्रक्रिया को त्वरित किया है। परन्तु शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश ने सार्वजनिक एकाधिकार की अपेक्षा निजी एकाधिकार प्रतिस्थापित कर दिए हैं।

यह अब सर्वविदित है कि वैश्वीकरण में सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव है। परन्तु अधिक सामाजिक उत्तरदायित्व को बहाल करने के लिए और समुचित रोजगार एवं एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति कायम की जायं जो गरीबों, कमजोर वर्गों, छोटे उद्यमकर्ताओं का ध्यान रखे और इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के विनियामक एवं प्रोन्नति कार्यभाग को सुदृढ़ किया जायं। डॉ० नरसिम्हा रेडडी ने कहा है कि, 'बाजार का अपना स्थान है परन्तु समाज का काम है बाजार को अपने स्थान तक ही सीमित कर दे। बाजार को समाज के ताने-बाने को नष्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, जिसका पुनर्निमाण राज्य के लिए करना भी आसान नहीं। बाजार का विनियामन जरूरी है ताकि इसके सामाजिक विध्वंस को रोका जा सके। तीसरी दुनिया में समुचित रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए विकास में राज्य के उचित स्थान को बहाल करना ही होगा।

उचित वैश्वीकरण के आदर्श मानदण्ड़ों की आवश्यकता-

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संघ ने वैश्वीकरण के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि, 'हमारी मुख्य चिन्ता यह है कि वैश्वीकरण से सभी देशों को लाभ प्राप्त होना चाहिए तथा सारी दुनिया में सभी लोगों के कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि इससे गरीब देशों की आर्थिक वृद्धि की दर में उन्नति होनी चाहिए और विश्व निर्धनता कम होनी चाहिए तथा इससे न तो असमानतायें बढ़नी चाहिए और न ही देशों के अन्दर सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को क्षति पहुँचनी चाहिए।' इस दृष्टि से विश्व को अधिक मानवीय वैश्वीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। यह एक प्राप्त दृष्टि है। विश्व में समस्त संसाधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा गरीबी, बीमारी तथा शिक्षा की गम्भीर समस्या को हल किया जा सकता है। इसकी विवेचना महात्मा गॉधी के आर्थिक चिन्तन से की जा सकती है। महात्मा गॉधी के अनुसार, 'अर्थशास्त्र को जीविकोन्मुखी एवं व्यापक मानवता के हित में होना चाहिए।' गॉधीवादी अर्थशास्त्र के बुनियादी तत्व मानव संसाधन की महत्ता, विकेन्द्रीकरण एवं समता है जो आर्थिक सुधारों के चलते अधिकाधिक गौण होते जा रहे हैं। गॉधीजी के लिए पूँजी नहीं, मानव विकास अधिक श्रेष्ठ है। लोगों को बेकाम रखना एक सामाजिक बुराई है। यदि कोई अपनी जनता के हुनर एवं ज्ञान को विकसित करने एवं उसका अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में असरदार प्रयोग करने में सक्षम नहीं है तो उसका समग्र विकास असम्भव है। इसलिए गॉधी जी ने श्रम प्रधान तकनीकी की आवश्यकता को महसूस किया था। महात्मा गॉधी ने वैश्वीकृत समाज की आलोचना करते हुए सरल शब्दों में कहा कि, 'विश्व में हर व्यक्ति की जरूरत के लिए पर्याप्त साधन मौजूद हैं परन्तु हर व्यक्ति के लालच के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटाए जा सकते हैं।'

वैश्वीकरण ने विश्व के गरीब वर्गों के हितों के लिए कार्य नहीं किया। फलस्वरूप विभिन्न देशों में असमानतायें बढ़ी। दोष वैश्वीकरण में नहीं है परन्तु उस ढंग से है जिससे इसकी व्यवस्था की गयी है। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस पर अपनपा मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि, 'अर्थव्यवस्था अधिकाधिक वैश्वीकृत बन रही है जबकि सामाजिक और राजनैतिक संस्थान मुख्य रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हो रहे हैं।

विश्व व्यापार के नियम अधिकांशतः समृद्ध तथा शक्तिशाली देशों के पक्ष में है, और वे प्रायः या तो गरीब अथवा कमजोर देशों के हितों की अनदेखी करते हैं या उनके विरूद्ध कार्य करते हैं। मुख्य रूप से वैश्वीकरण के अनिवार्य लक्ष्य के रूप में निम्नांकित प्रयासों को क्रियान्वित करना चाहिए जिससे उदारीकरण एक आदर्श वैश्वीकरण बन सके।

१. अच्छा राजनैतिक प्रशासन जो लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली पर अवलम्बित हो, जिसमें मानवीय अधिकार विधि सम्मत शासन तथा सामाजिक न्याय हो।

२. एक प्रभावी राज्य स्थापित हो, जिसमें उच्च एवं स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित हो, जो सामाजिक वस्तु तथा सामाजिक संरक्षण उपलब्ध करा सके। शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं की सर्वव्यापकता तथा लोगों की योग्यताओं को उन्नत कर, स्त्री-पुरूष समानता को बढ़ावा मिले।
३. एक तेजस्वी नागरिक समाज जो संगठन एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के सशक्त हो, जिसमें विचारो और हितों की पूर्ण विविधता प्रतिबिम्बित हो। भागीदारी तथा सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित हो तथा ऐसी संस्थायें स्थापित हो जो सार्वजनिक हितों, गरीबों तथा अन्य वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व कर सकें।
४. लाभपूर्ण सामाजिक वार्तालाप के लिए श्रमिकों एवं नियोजकों के सशक्त प्रतिनिधित्व वाली संस्थायें भी अनिवार्य रूप से हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैश्वीकरण ने अधिकाधिक वैश्विक अर्थव्यवस्थाा कायम रखने में सहायता दी है। परन्तु यह एक वैश्विक समुदाय को कायम करने में कामयाब नहीं हुआ है जिसके साझे लक्ष्य हों। अतः एक अधिक उचित एवं समावेशी वैश्वीकरण की आवश्यकता है।

प्रोफेसर जॉन हैरिस ने कहा है कि, 'भारत के सामने उत्पादक रोजगार के साथ विकास प्राप्त करने की चुनौती विद्यमान है। भारत पिछले १५ सालों से रोजगार-विहीन विकास अनुभव करता रहा है। जिसका अर्थ यह है कि लोगों की एक बड़ी संख्या हाशिए पर पहुँचाई गयी है, जबकि अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हुआ है।

समावेशी वैश्वीकरण की चर्चा करते हुए **प्रो० हैरिस** ने कहा है कि, 'भारत के पास इतना बड़ा स्वदेशी बाजार उपलब्ध है कि इसे विकास के लिए समुद्र पार के बाजारों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, परन्तु इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए लोगों के पास आय होनी आवश्यक है।' अतः भारत रोजगार जनन एवं वृद्धि दर में साहचर्य प्राप्त करना होगा।

सन्दर्भग्रन्थ सूची-

१. स्टिग्लिट्ज-'वैश्वीकरण और इसकी निराशायें।'
२. वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की रिपोर्ट।
३. स्रोत-विश्व विकास सूचक-२०१२।
४. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा- २०११-१२।
५. योजना आयोग, रोजगार अवसरों पर कार्यदल की रिपोट-२०१२।
६. वैश्वीकरण के उद्देश्य पर, अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संघ की एक रिपोर्ट।